तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पप्पूराम बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर)

सू.अ.अ.अपील सं0 13 / 2024 (ऑन लाईन नं0 353504761177620)

27.02.24

अपीलार्थी पप्पूराम उर्फ प्रदीप विश्नोई पुत्र गोरधनराम, पता ग्राम देसुरिया विश्नोईयान तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 20.01.24 में उसके द्वारा (1) राजस्थान सरकार पत्रांक 9815 दिनांक 07.02.2023 जिला परिषद जोधपुर के संबंध में ग्राम पंचायत मणाई, पंचायत संमिति केरू जिला जोधपुर में दिनांक 12.12.2023 को ग्राम पंचायत मणाई में जांच अतिरिक्त विकास अधिकारी विनोद हरदानी द्वारा की गई सम्पूर्ण पत्रावली, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर जोधपुर, ग्रामीण) को प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किया गया तथा लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर जोधपुर, ग्रामीण) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर जोधपुर, ग्ग्रमीण) से जरिये पत्रांक 148 दिनांक 27.02..2024 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला परिषद जोधपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) को इस कार्यालय के पत्र संख्या 59 दिनांक 03.01.2024 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया, प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई थी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर जोधपुर, ग्रामीण) की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना जिला परिषद जोधपुर से संबंधित होने के कारण संबंधित लोक सूचना अधिकारी को विधिक प्रक्रिया के तहत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा लोक सूचना अधिकारी (मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर) के विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रमुख, जिला परिषद जोधपुर है न कि जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)। अतः अपीलार्थी को सूचना प्राप्त करने के लिए प्रमु[illegible] परिषद जोधपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करनी चाहिए। उपरोक्त [illegible] यह अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति [illegible] को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:18:20 IST
Reason: SelfAttested